



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 568-पारे०अनु०-०४/पाद्राकालि-2021-18-14 टी०सी०

दिनांक: 14 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञाप

विषय:—उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन अवशेषों की द्वितीय/अन्तिम किश्त के भुगतान के सम्बन्ध में।

उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) के आदेश संख्या-670/24-पी-2-2021 सा०(144)/2017, दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों की पेंशन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में व्यवस्थित धनराशि रू० 3500.00 करोड़ से ऊर्जा विभाग के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित पेंशन अवशेषों की द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि 298.52 करोड़ (रू० दो सौ अष्टान्नावे करोड़ बावन लाख मात्र) के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-861-पें०एवंआर०-28/पाकालि/21-60-पी/98(TC-1-2018), दिनांक 12.07.2021 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन अवशेषों की द्वितीय/अन्तिम किश्त के भुगतान सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के सातवें वेतन आयोग के पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अवशेषों के प्रथम किश्त के भुगतान की स्वीकृति पूर्व में उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) के आदेश संख्या-801/24-पी-2-2019 सा०(144)/2017, दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से प्रदान किये जाने के उपरान्त उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-851-पें०एवंआर०-28/पाकालि/2019, दिनांक 15.07.2019 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के प्रथम किश्त के भुगतान सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2015-पारे०अनु०-16/पाद्राकालि-2019-74/2013, दिनांक 27.07.2019 के द्वारा भुगतान के आदेश किये गये थे, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के भुगतान की कार्यवाही की गई।

अतः उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) के वर्तमान में जारी शासनादेश संख्या-670/24-पी-2-2021 सा०(144)/2017, दिनांक 02.07.2021 में प्राविधानित व्यवस्थाओं/शर्तों के अनुसार एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-861-पें०एवंआर०-28/पाकालि/21-60-पी/98(TC-1-2018), दिनांक 12.07.2021 को एतद्द्वारा अंगीकृत करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित एरियर/अवशेषों के द्वितीय/अन्तिम किश्त का भुगतान कर दिया जाये।

अध्यक्ष

संख्या : 568-पारे0अनु0-04 / पाट्टाकालि / 2021-18 / 14टी0सी0 / तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कोषागार), कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उ0प्र0 राज्य शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) के आदेश संख्या-670/24-पी-2-2021 सा0(144)/2017, दिनांक 02.07.2021 में निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऊर्जा निगमों के पेंशनरों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित अवशेषों का भुगतान राजकीय कोषागारों से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0पा0ट्टा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीघ्र अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से



(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)